

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.124/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024 / 188)

तारीख दायरा
14.10.2024

तारीख निर्णय
27.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

पेमा पुत्र देवी जाति भील,
निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी पेमा पुत्र देवी को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 207 रकबा 0.8013 हैक्टेयर वाकेग्राम फतेहपुरा आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 124/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/188 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी पेमा पुत्र देवी भील का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी तहसील से बाहर निवास करता है एवं आवंटी की मृत्यु व वर्तमान निवास के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी के विरुद्ध सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।


जिला कलक्टर, बून्दी



तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काररत नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किय़ा गया उक्त आवंटन निरस्त किय़ा जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किय़ा गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किय़ा एवं बहस पर मनन किय़ा गया। जिससे प्रकट है कि पेमा पुत्र देवी जाति भील निवासी फतेहपुरा को दिनांक 25.10.1977 को भूमि खसरा सं. 206 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा सं. 207 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा वाकेश्राम फतेहपुरा का आवंटन किय़ा गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेजा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किय़ा है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डावी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार पेमा पुत्र देवी जाति भील का उक्त भूमि पर कब्जा काररत नहीं है। आवंटी तहसील क्षेत्र से बाहर ही निवास करता है एवं उसकी मृत्यु व वर्तमान निवास के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं होने से आवंटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम फतेहपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 207 रकबा 0.8013 हैक्टयर हैक्टयर पर अप्रार्थी पेमा पुत्र देवी जाति भील गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी रबी (उन्हालू) वर्ष 2024 संवत 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काररत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काररत करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर 45 वर्षों तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना, आवंटी के तहसील क्षेत्र से बाहर रहने से उसके निवास के बारे में कोई जानकारी नहीं होना, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काररत नहीं होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तों का उल्लेखन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।




बिला कलरटर, बुन्दा

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पेमा पुत्र देवी जाति भील निवासी फतेहपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 206 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा सं. 207 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा संख्या 207 रकबा 0.8013 हैक्टयर वाकेंग्राम फतेहपुरा दिनांक 25.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर
बून्दी